कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या–2010एस0टी0ए0 / 2016–11एस0टी0ए0 / 2014 लखनऊः दिनांक 16 नवम्बर, 2016

1– अपर परिवहन आयुक्त (मध्य / पूर्वी / पश्चिमी), उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
3– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तर प्रदेश।
6– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
7– समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि दिनांक 20.07.2016 को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैंः–

"all the vehicle which are deregistered in Delhi/NCR would not be permitted to ply in Delhi/NCR, however the authorities will issue NOC for such vehicle to be registered outside the Delhi/NCR. We further clarify that in terms of the orders of the tribunal every state has to identify areas where the dispersion of the air is higher and vehicular density is least if the states have not done it so far we grant last opportunity to the states and the union territories to identify such areas and put them on the respective websites the Rto's Delhi will issue NOC for transfer of these vehicle only for such areas which are identified by the states."

2– उक्त के अनुक्रम में उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), मेरठ के पत्र संख्या–1610 / परिक्षेत्र / एन0जी0टी0 / 2016, दिनांक 11.11.2016 द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों को 04 श्रेणी में (विशेष श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी एवं सी श्रेणी में) वर्गीकृत करते हुये माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अधीन एन0सी0आर0 के जनपदों से बी एवं सी श्रेणी के जनपदों में डीजल चलित 10 वर्षों से पुराने तथा पेट्रोल चलित 15 वर्षों से पुराने वाहनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु चिन्हांकित करने के लिए मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया है। इसके क्रम में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण पर विचार–विमर्श कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

3– समिति द्वारा विचार–विमर्श करते हुये यह निर्णय लिया गया कि उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), मेरठ के पत्र के साथ दिये गये संलग्नकों के विशेष श्रेणी एवं ए श्रेणी के जनपद, बड़े–बड़े जनपद या ऐसे जनपद हैं जो बड़े–बड़े जनपदों के अत्यन्त समीप स्थित हैं और वहां वाहनों की संख्या का घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक है, परन्तु बी एवं सी श्रेणी के जनपद ऐसे हैं जहां वाहनों की संख्या एवं उनका घनत्व अधिक नहीं है।

4– उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), मेरठ द्वारा प्रस्तावित विशेष श्रेणी एवं ए श्रेणी के जनपदों में एन0सी0आर0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये अनुमति न प्रदान की जाये और बी तथा सी श्रेणी के ऐसे जनपद जो बड़े अर्थात नगर निगम से सम्बन्धित जनपद के आस–पास स्थित हैं, उनमें भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र न जारी किये जायें।

5– तद्नुसार समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एन0सी0आर0 के उत्तर प्रदेश के एन0सी0आर0 स्थित जनपदों से डीजल चलित 10 वर्षों से पुराने तथा पैट्रोल चलित 15 वर्षों से पुराने वाहनों को निम्नलिखित 37 जनपदों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु चिन्हांकित किया गया। ऐसे जनपद इस प्रकार हैंः–

क0 सं0	जनपद का नाम	क0सं0	जनपद का नाम	क0सं 0	जनपद का नाम	क0सं0	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाथरस	10	कन्नौज	19	श्रावस्ती	28	बहराइच
2	इटावा	11	बलिया	20	औरेया	29	उरई
3	आजमगढ़	12	सुल्तानपुर	21	फतेहपुर	30	एटा
4	बस्ती	13	गाजीपुर	22	पीलीभीत	31	कासगंज
5	संतकबीर नगर	14	गोण्डा	23	शाहजहांपुर	32	महोबा
6	अंबेडकरनगर	15	मैनपुरी	24	लखीमपुर	33	ललितपुर
7	कुशीनगर	16	प्रतापगढ़	25	बदांयु	34	बांदा
8	फर्रूखाबाद	17	सिद्धार्थनगर	26	बलरामपुर	35	चित्रकुट
9	जौनपुर	18	महाराजगंज	27	हरदोई	36	हमीरपुर
						37	अमेठी

6– समिति द्वारा दिये गये उपरोक्त 37 जनपदों के लिये ही अनापत्ति–प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना उचित है। इन जनपदों हेतु उपरोतानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में बाधा प्रतीत नहीं होती। अन्य प्रदेशों से 10 वर्ष पुरानी डीजल वाहन एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन के अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रापत करने पर मात्र उपरोक्त 37 जनपदों में पुनः पंजीकरण किया जा सकता है। प्रदेश के शेष 38 जनपदों में पुनः पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा।

7– उत्तर प्रदेश के एन0सी0आर0 से संबंधित जनपदों द्वारा मात्र उपरोक्त 37 जनपदों व अन्य प्रदेशों के लिए ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाये।

8– उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के एन0सी0आर0 जनपद के संबंधित पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकार के वाहनों के एन0ओ0सी0 पत्र के प्रस्तर–5 पर उल्लिखित तालिका के 37 जनपदों के लिए मात्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है और ऐसे जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को उपरोक्त जनपदों में अग्रिम आदेशों तक पंजीयन अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0–2010 (1)एस0टी0ए0 /2016–समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–डी0बी0ए0 मुख्यालय को इस निर्देश के साथ की उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अविलंब अपलोड करना सुनिश्चित करें।

16/11/16
(गंगाफल)
अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0/आई0टी0)
उत्तर प्रदेश।